कार्यालय प्राचार्य डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं 0771.2272399

NAAC Grade B++

ई –मेल drrbgnkm1986@gmail.com

college code -1106

क्र./368 /स्था./2026 रायपुर, दिनांक 20.8.26

परिशिष्ट 1 अ

//अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु विस्तृत विज्ञापन //

कार्यालय आयुक्त, उ.शि.संचालनालय रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 3–54 / स्था/ 2020/ 38–1 दिनांक 20.06.2024 व्याख्याता नीति 2024 (यथा संशोधित 2026) एवं आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय के पत्र ESTB-2035/637/2026-RAJPATARIT STHAPANA नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 18.08.2026 के अनुसार डॉ राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय मठपारा रायपुर में विषय प्राणी शास्त्र में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदक अपने समस्त प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 02.09.2026 को सायं 05.00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक **(पता प्राचार्य, डॉ राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय दूधाधारी सत्संग भवन के पास मठपारा रायपुर 492001**)अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करे) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :–

1. अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारियों को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों मे शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथपाल सहायक/क्रीड़ा सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतक 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकात्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।

2. स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालयों में कार्य करने के लिए बिन्दु–1 के समान न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के साथ–साथ आवेदकों को अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन का अनुभव तथा अध्यापन के दौरान छात्र/छात्राओं से अंग्रेजी माध्यम में संवाद कर पाठ्य–विषय से संबंधित जिज्ञासाओं का निराकरण करने में सक्षम होना अनिवार्य होगा। इस हेतु आवेदक अभ्यर्थियों की व्यवस्था राज्य स्तरीय गठित समिति के द्वारा सक्षमता एवं दक्षता के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

3. आयु सीमा :– अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक। अतिथि ग्रंथपाल/अतिथि क्रीड़ा अधिकारी एवं अतिथि ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक अधिकतम 62 वर्ष तक।

4. छत्तीसगढ़ में अतिथि व्याख्याता (Guest Lecture) भर्ती नियम के अनुसार यदि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी (Category) के दो अभ्यार्थियों के अंक समान (Tie) होने हैं, तो राज्य के मूल निवासी की वरीयता दी जाएगी।

विषय/पदों का विवरण :–

क्रमांक	विषय	रिक्त पद एवं संख्या		
		प्राध्यापक	सहा.प्राध्यापक	कुल रिक्त पद
1.	प्राणी शास्त्र	------	01	01

टीप :– संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्तें :–

01. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वी, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम.फिल. /पी–एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।

02. दिनांक 02.09.2026 को कार्यालयीन समय में डाक (पता प्राचार्य, डॉ राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय दूधाधारी सत्संग भवन के पास मठपारा रायपुर 492001) के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई–मेल से भेजे गये आवेदन का मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में ऑफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में आनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।

03. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

04. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 07.09.2026 की महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट पर प्रकाशित **www.dnkm.ac.in** किया जावेगा। महाविद्यालयों की वेबसाईट नहीं होने पर संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय की वेबसाईट में प्रकाषित किया जाना अनिर्वाय होगा। वेबसाईट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जावेगा।

05. गुणानुक्रम अनुसार अंनतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 10.09.2026 तक होगी।

06. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 11.09.2026 को किया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जावेगा।

07. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।

08. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

09. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।

10. मानदेय–

अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :–

- अतिथि व्याख्याता मानदेय – 2000/– प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 50000/–)
- अतिथि ग्रंथपाल/क्रीड़ाधिकारी – 1600/– प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 40000/–)
- अतिथि शिक्षण सहायक – 1400/– प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 36000/–)
- अतिथि ग्रंथपाल सहायक/अतिथि क्रीड़ाधिकारी सहायक– 1200/– प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 30000/–)

11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता प्राचार्य, डॉ राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय दूधाधारी सत्संग भवन के पास मठपारा रायपुर 492001 एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखे।

12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक–सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक–सेवक नहीं कहलायेंगे।

13. संस्थान के इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक वह अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।

14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

15. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।

16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होगा।

संस्था प्रमुख

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नाम ....

जिला–..........